कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर

Email : panjiyak8ppp@gmail.com Ph. : 0151-2226570

क्रमांक: शिविरा/प्राशि/पविप/5वी–8वी/विविर/2019 दिनांक: 07.1.20

प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त।	केन्द्राधीक्षक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) 2020 समस्त।

विषय – प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2020 परीक्षा हेतु सामान्य निर्देश।

सामान्य निर्देश

1 एक परीक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले सभी विद्यालयों के परीक्षार्थियों को नाम के A-Z क्रम में व्यवस्थित करके ही रोल नम्बर आवंटित किये गए है। इस प्रक्रिया से एक परीक्षा केन्द्र के रोल नम्बर निरन्तर है। जिसमें अधीन आने वाले सभी विद्यालयों के परीक्षार्थियों के Mixed रोल नम्बर आवंटित हुए है। इस व्यवस्था से एक विद्यालय के सभी परीक्षार्थियों के रोल नम्बर लगातार आवंटित नही हुए है।

2 परीक्षा केन्द्र पर रोल नम्बर के क्रम के अनुसार ही परीक्षार्थियो की बैठक व्यवस्था रखी जावे। क्योंकी रोल नम्बर आवंटन के दौरान ही परीक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले सभी विद्यालयो के परीक्षार्थियो को Mixed किया जा चुका है।

3 यदि किसी परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र मे परीक्षार्थी के विवरण सम्बन्धी कोई संशोधन अपेक्षीत है, तो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यार्थी के भरे हुए आवेदन पर अपेक्षित संशोधन करके सम्बन्धित दस्तावेजो एवं प्रवेश पत्र की प्रतिलिपी सहित सम्बन्धित सी.बी.ओ. कार्यालय से सम्पर्क करके अपेक्षित ऑनलाईन संशोधन करावे एवं अपेक्षित संशोधन पश्चात पुनः अपने लॉगइंन से प्रवेश पत्र निकालकर ही परीक्षार्थी को देवें।

4 परीक्षा केन्द्र के लॉगईन पर परीक्षार्थियो के तृतीय भाषा संबंधी रिपोर्ट अविलम्ब उपलब्ध करवा दी जाएगी। जिसके आधार पर ही तृतीय भाषा के प्रश्नपत्रों का वितरण किया जाना है । संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के परीक्षार्थियो के प्रवेश पत्र पर तृतीय भाषा संस्कृत(संस्कृत शिक्षा विभाग) ही प्रिन्ट होने की सुनिश्चितता करें। इन तृतीय भाषा के पेपर वितरण मे संस्कृत विभाग के नाम के पैकट से ही प्रश्नपत्र वितरीत किये जाने है। साथ ही संस्कृत शिक्षा विभाग से भिन्न परीक्षार्थियो के तृतीय भाषा संस्कृत होने पर प्रवेश पत्र पर संस्कृत तृतीय भाषा संस्कृत प्रिन्ट होने की सुनिश्चितता करें एवं ऐसे परीक्षार्थियो को संस्कृत का पेपर ही वितरीत किया जाना है।

5 परीक्षा केन्द्र के गोपनीय कोड परीक्षा केन्द्र के लॉगइन पर उपलब्ध प्रपत्र मे उपलब्ध करवा दिये गए है। जिन्हें पूर्णतः गोपनीयता के साथ रखा जाना है। गोपनीय कोड को किसी प्रकार के सोशल मिडीया पर प्रसारित नही किया जावे।

6 यदि किसी पात्र परीक्षार्थी ने अभी भी ऑनलाइन आवेदन नही किया है, तो सम्बधित संस्था प्रधान अविलम्ब अपने जिले कि डाइट से सम्पर्क कर ऑनलाइन आवेदन एवं रोल नम्बर जारी करवाने की कार्यवाही करें।

7 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा सामग्री कमी हेतु प्रपत्र–11 जारी किया जा चुका है। यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर प्रपत्र–11 अनुसार परीक्षा सामग्री की कमी है तो वह प्रपत्र–11 मे भर कर सम्बन्धित संग्रहण केन्द्र कि रिजर्व सामग्री से प्राप्त करें। यदि संग्रहण केन्द्र पर भी माग के अनुसार सामग्री नही है तो जिले की डाइट से सम्पर्क कर प्राप्त करें।

8 एक विद्यालय के किसी विद्यार्थी को एक से अधिक रोल नम्बर आवंटीत हो चुके है, तो सम्बन्धित विद्यालय का संस्थाप्रधान जिस रोल नम्बर पर परीक्षार्थी का विवरण सही है। उस एक रोल का ही प्रवेश पत्र परीक्षार्थी को देवे। अन्य निरस्त किये जाने वाले रोल नम्बर के प्रवेश पत्र सम्बन्धित जिले की डाइट को निरस्त की अभिशंषा सहीत डाइट को पत्र भेजे एवं जिस रोल नम्बर का प्रवेश पत्र जारी किया गया है उसी रोल नम्बर पर परीक्षार्थी के सत्रांकों की प्रविष्ठी किया जाना सुनिश्चित करे।

9 संस्कृत शिक्षा विभाग के परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर तृतीय भाषा मे संस्कृत/संस्कृत विभाग एवं सामान्य विद्यालय के परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र मे तृतीय भाषा मे संस्कृत विभाग आ रहा है तो सम्बधित संस्था प्रधान प्रकरण सहित अपने जिले की डाइट से सम्पर्क करे एवं डाइट उक्त प्रकरण को तत्काल पंजीयक कार्यालय को भिजवावें। सम्बन्धित परीक्षार्थी के तृतीय भाषा मे संशोधन पश्चात नवीन प्रवेश पत्र निकाल कर ही परीक्षा मे सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक उक्त सम्बन्ध मे प्रश्न पत्रों की सुनिश्चितता करे।

नोट:– केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करे की संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रवेश पत्र वाले रोल नम्बर द्वारा ही परीक्षार्थी को परीक्षा मे बैठाया जावे।

पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्राशि/पविप/5वी–8वी/विविप/2019 दिनांक:

प्रतिलिपि –

1 उपशासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3 अतिरिक्त निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
5 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा।
6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
7 सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक, समस्त।
8 सम्बन्धित संस्था प्रधान समस्त।

पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर